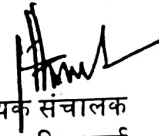


प्रश्न सं. [क. 3233]

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 3233 माननीय विधायक श्री मोहन सिंह राठौर (परिशिष्ट "अ")

क्रमांक	संभाग	जिला	अधिकारी/कर्मचारी का नाम जिन्हे अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई	अभियोजन की स्वीकृति दिए जाने का वर्ष	माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने का दिनांक
1	ग्वालियर संभाग ग्वालियर	ग्वालियर	1. श्री के.डी. त्रिपाठी (सेवानिवृत्त) तत्कालीन संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास, ग्वालियर संभाग ग्वालियर। 2. श्री पुरुषोत्तम शर्मा (मूलपद व्याख्याता) सहायक नियोजन अधिकारी, 3. श्री कामता प्रसाद यादव, स्टोर कीपर 4. श्री खेमराज आहूजा, लेखापाल	शासन पत्र क्रमांक 1319/203/2018/1/25 दिनांक 03/08/2022	आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मध्य प्रदेश (ई.ओ. डब्ल्यू.) भोपाल में दर्ज अपराध क्रमांक 23/2013 विवेचनाधीन है। चालान अभी प्रस्तुत नहीं हुआ है।


सहायक संचालक
जनजातीय कार्य
मध्य प्रदेश

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश
(EOW)भवन, 42 अरेरा हिल्स भोपाल

क्रमांक / अप. / विविध / वि.स.ता.प्र.क्रं-3233 / 172-ए / 2026 भोपाल दिनांक 18/02/26
प्रति,

सहायक आयुक्त,
कार्यालय कलेक्टर, (जनजातीय कार्य विभाग)
जिला-ग्वालियर।

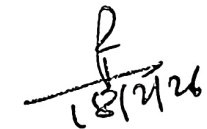
विषय :- विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 3233 द्वारा माननीय श्री मोहन सिंह राठौर,
के संबध में।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 24 / लेखा / वि.स. / 26 / 4537 ग्वालियर, दि.13.02.26

विषयांकित सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करें। माननीय विधायक, श्री मोहन सिंह राठौर, द्वारा विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक-3233 में अभियोजन की स्वीकृति दिनांक 03/08/2022 (अपराध क्रमांक 23/2013) जारी होने के बाद न्यायालय में चालान कब कब प्रस्तुत किया गया की जानकारी चाही हैं।

उक्त संबंध में लेख है कि अपराध क्रमांक 23/2013 वर्तमान में विवेचनाधीन हैं। प्राप्त तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी।


सहायक संचालक
जनजातीय कार्य


(पल्लवी त्रिवेदी)
सहायक महानिरीक्षक (अपराध)
हेतु-महानिदेशक,
आ.अ.प्रकोष्ठ(EOW),म.प्र.भोपाल
01C